आवश्यक

पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश ,8 वां तल ,इंदिरा भवन,अशोक मार्ग,लखनऊ |

सेवा मे,

समस्त संयुक्त निदेशक,
पेंशन , उत्तर प्रदेश |

पत्रांक-पे.नि./एन.पी.एस.-3/क्रियान्वयन/पा.पेंशन मे PRAN से राजकोष /2021-22, 5471 दिनांक-18 जून 2021 |

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सेवा काल मे मृत्यु प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन के विकल्प का चयन करने पर NPS खाते मे संचित सम्पूर्ण धन राजकोष मे जमा कराने विषयक |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पूर्व पत्रांक- पे.नि./एन.पी.एस.-3/क्रियान्वयन/पा.पेंशन मे राजकोष मे अंतरण /2020-21/7836 ,दिनांक-07/08/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सेवा काल मे मृत्यु प्रकरणों मे पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार-पत्र निर्गमन से पूर्व NPS खाते मे संचित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष मे जमा होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए थे |

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सेवा काल मे मृत्यु प्रकरणों मे पारिवारिक पेंशन के विकल्प का चयन करने पर PRAN खाते मे संचित सम्पूर्ण धन राजकोष मे जमा कराने हेतु संबन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा मृत कार्मिक के आश्रित से शासनादेश दिनांक-20/03/2017 का **अनुलग्नक-10** पूर्ण कराकर ,संबन्धित जनपद कोषागार (DTO) को , विकल्प-पत्र एवं अनुलग्नक-10 प्रस्तुत किया जाता है | जनपद कोषागार (DTO) द्वारा CRA सिस्टम पर FPWR की कार्यवाही पूर्ण कर जनरेट एकनालेजमेंट की प्रति के साथ विकल्प-पत्र एवं अनुलग्नक-10 पेंशन निदेशालय को प्रेषित किया जाता है | जनपद कोषागार (DTO) द्वारा CRA सिस्टम पर FPWR की कार्यवाही एकनालेजमेंट जनरेट करने से PRAN की धनराशि PRAN की धनराशि अंतरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है |

उक्त के क्रम मे कोविड महामारी के दृष्टिगत आप से अपेक्षित है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत समूह -ख, ग एवं घ श्रेणी के कार्मिकों के सेवा -काल मे मृत्यु के पेंशन प्रकरणों मे बिना कोई विलंब किए तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए |

यहां स्पष्ट रूप से निर्देशित करना है कि किसी भी प्रकरण मे निदेशालय से PRANकी धनराशि राजकोष मे जमा विषयक आदेश की प्रतीक्षा न की जाए |

संलग्न- यथोपरि |

भवदीय,
(रंजन मिश्र) 18/06/21
निदेशक|

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव वित्त (सामान्य)अनुभाग-3,उत्तर प्रदेश शासन ,लखनऊ |
2. समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद कोषागार उ0प्र0

(रंजन मिश्र)
निदेशक|

Scanned with CamScanner